25

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2576
Dated 7/5/12

P-II

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Ajay Kumar
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual ✓	
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	H.No 96 Village Hiranki Delhi-36 27721458 9818550172
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	abajad2005@gmail.com
पता : Address :	H.No 96 Village Hiran Ki Delhi-36
हस्ताक्षर : Signature :	Ajay Kumar
तिथि : Date :	30/04/0012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

134

Ajay

25

133

दिनांक: 30 अप्रैल 2012

श्री अमित दास
निदेशक (योजना)
दि. वि. प्रा. जोन पी-1
एवं पी-II नरेला, 11 वां तल, विकास मीनार
नई दिल्ली

विषय: दिल्ली मुख्य योजना 2021 के विषय में सुझाव

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन यह है कि दिल्ली विकास प्रधिकरण की तरफ से आपके विज्ञापन भावी दिल्ली 2021 "उत्तरी जिले में आयोजित खुला मंच (ओपन हाउस मीट)" के सन्दर्भ में आपके के द्वारा जो सुझाव मांगे गऐ थे वो इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय मार्ग न० 1 से वजीराबाद यमुना के साथ साथ जोन पी-2 में 100 मीटर परियोजनात्मक रोड़ है उसके लिए जमीन अधिग्रहण बांध से यमुना की तरफ की जानी चाहिए।

क्योंकि बाँध की अन्दर की जमीन का अधिग्रहण मूल्य काफी कम है ओर बाँध से गांव की तरफ का सरकारी मूल्य अधिक है।

2. मास्टर प्लान 2021 में पी.पी.पी. योजना ही होनी चाहिए ओर इसमें कम से कम 2 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग सोसइटी को मान्यता दी जानी चाहिए।

जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

3. वर्तमान समय में जो रोड़ पी-2 जोन में 8 मीटर के है उनको बढ़ा कर कम से कम 30 मीटर किया जाना चाहिए।

4. अगर किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहीत करती है तो किसान को विकसित जमीन का 15 प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

5. जोन पी-2 में ग्रीन ब्लेट को छोड़ कर जो फार्म हाउस बने हुए है उनको तोड़ कर। उनकी जगह पर सार्वजनिक प्रयोग या फिर रिहायसी मकान बनाये जाने चाहिए।

क्योंकि मकानों की दिल्ली में पहले ही कमी है ओर फार्म हाउस अत्यधिक जगह घेरते है। इन्हें ग्रीन ब्लेट एरिया में ही होना चाहिए।

6. वर्त्तमान समय में विद्युत की जो 220 और 440 की हाई एक्सटेंशन वायर है उनको ग्रीन ब्लेट एरिया में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

इससे ज्यादा से ज्यादा जमीन सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

कृपया करके इन सुझावों का विचार किया जाऐ तथा क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाऐ।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

Ajay Kumar

Village - P. office Hiranki Delhi